

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-4  
संख्या-3719/77-4-23-14अपील/20  
लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2023

मैसर्स बर्जर पेन्टस इण्डिया प्रा०लि०

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)

विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मैसर्स बर्जर पेन्टस इण्डिया प्रा०लि०, बर्जर हाऊस, 129, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला-1, हरदोई में आवंटित भूखण्ड संख्या- बी-4 एवं बी-5 के संबंध में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.08.2020 एवं डिमांड नोटिस दिनांक 17.08.2020 के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 सपठित उ०प्र० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा-41(3) के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रकरण में यूपीसीडा से आख्या प्राप्त की गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संबंध में दिनांक 16.06.2023 को सुनवाई बैठक सम्पन्न हुई। उक्त सुनवाई बैठक में मैसर्स बर्जर पेन्टस इण्डिया प्रा०लि० की ओर से श्री अनिरुद्ध सेन, वाईस प्रेसीडेन्ट, श्री प्रमोद अग्रवाल, अधिवक्ता, श्री मुख्तार नकी और श्री देबर्सि मुखर्जी तथा यूपीसीडा की ओर से श्रीमती अस्मिता लाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्रीमती मोनिका कुमार, सहायक महाप्रबधक (मुख्यालय) और श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, लखनऊ द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2. प्रकरण में सुनवाई के समय तथा पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नवत् अभिकथन प्रस्तुत किए गए:-

- (1) प्राधिकरण के पत्र दिनांक 26.03.2018 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, सण्डीला फेज-1 में भूखण्ड संख्या-बी-4 एवं बी-5 का आवंटन पुनरीक्षणकर्ता को किया गया। रू० 3,84,61,159.80 अवशेष आरक्षित धनराशि दिनांक 25.04.2018 तक पुनरीक्षणकर्ता को जमा करना था। आवंटन पत्र दिनांक 26.03.2018 के अनुसार भूमि की कुल कीमत रू० 25,89,83,743 (रू० 2,62,84,776+रू० 3,84,61,159.80+रू० 19,42,37,807) रू० 1680/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से है। आवंटन पत्र के अनुसार आवेदक को 60 दिन की अवधि के भीतर लीज डीड को निष्पादित और पंजीकृत करवाना था। ऐसा करने में विफल रहने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आवंटन पत्र के अनुसार इकाई को आवंटन की तिथि से 05 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करना होगा और आगे कोई समय विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (2) भूखण्ड आवंटन के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा भूमि का सीमांकन करने का प्रयास किया गया, परन्तु भूखण्ड पर अतिक्रमण के कारण सीमांकन नहीं किया, क्योंकि आवंटित भूमि पर वन विभाग के कुछ पीलर एवं स्थानीय ईदगाह थे। उक्त तथ्य से प्राधिकरण को

- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवगत कराया गया। इस समस्या के हल के लिए यूपीसीडा द्वारा वन विभाग को पत्र दिनांक 25.05.2018 प्रेषित किया गया। दिनांक 25.05.2018 के पत्र में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकार किया गया कि उस समय प्लाट विवादित था।
- (3) स्थानीय पटवारी के माध्यम से ईदगाह की समस्या का समाधान किया गया, जबकि वन विभाग के प्रकरण में दिनांक 28.05.2018 को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस समस्या का समाधान करने हेतु लिखा गया।
- (4) पुनरीक्षणकर्ता को भूखण्ड की ट्रेसिंग भी नहीं की गयी थी, इसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 05.06.2018 को अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखकर आवंटित भूखण्ड के ट्रेसिंग का अनुरोध किया गया।
- (5) आवंटन से पहले भूखण्डों की ट्रेसिंग की जानी थी, लेकिन आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवंटन की प्रक्रिया वास्तविक ट्रेसिंग के बिना शुरू की गयी थी।
- (6) प्राधिकरण द्वारा की गयी भौतिक ट्रेसिंग में 7738 वर्ग मीटर भूमि कम हो गयी। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 17.07.2018 को संशोधित आवंटन पत्र जारी किया गया।
- (7) नवीन आवंटन पत्र दिनांक 17.07.2018 के अनुसार प्रीमियम एवं ब्याज की किस्तों की शर्तों में संशोधन किया गया और तदनुसार किस्तों एवं उस पर ब्याज को नये आवंटन की तिथि 17.07.2018 से वसूल किया जाना था। मूल आवंटन पत्र दिनांक 26.03.2018 को आवंटन पत्र दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और मूल आवंटन पत्र अमान्य हो गया।
- (8) उक्त के क्रम में पट्टा विलेख दिनांक 11.10.2018 को निष्पादित किया गया। आवंटन पत्र जारी होने एवं लीज डीड निष्पादित होने से पहले जब पुनरीक्षणकर्ता बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिए गए तो भूखण्ड पर कतिपय समस्याएं यथा जल निकासी की व्यवस्था का निर्माण न होना, प्लाट के सामने सर्विस रोड का निर्माण न होना तथा गाँव की सड़क का चौड़ीकरण न होना पायी गयी।
- (9) पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 25.02.2019 को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त हुआ। कब्जे के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का ठेका मैसर्स मित्तल कान्स्ट्रक्शन यूनिट, मुजफ्फरनगर को दिया गया, जिनके अनुसार साईट पर काम करना जोखिम भरा था, क्योंकि भूखण्ड पर बिजली के खम्भे मौजूद थे। भूखण्ड पर मौजूद खम्भों को हटाने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से भुगतान की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्युत विभाग से स्वयं समन्वय स्थापित कर उक्त खम्भे हटवाये गये।
- (10) उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में निम्नवत् अनुतोष मांगा गया है:-





- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अवगत कराया गया। इस समस्या के हल के लिए यूपीसीडा द्वारा वन विभाग को पत्र दिनांक 25.05.2018 प्रेषित किया गया। दिनांक 25.05.2018 के पत्र में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकार किया गया कि उस समय प्लाट विवादित था।
- (3) स्थानीय पटवारी के माध्यम से ईदगाह की समस्या का समाधान किया गया, जबकि वन विभाग के प्रकरण में दिनांक 28.05.2018 को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस समस्या का समाधान करने हेतु लिखा गया।
  - (4) पुनरीक्षणकर्ता को भूखण्ड की ट्रेसिंग भी नहीं की गयी थी, इसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दिनांक 05.06.2018 को अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखकर आवंटित भूखण्ड के ट्रेसिंग का अनुरोध किया गया।
  - (5) आवंटन से पहले भूखण्डों की ट्रेसिंग की जानी थी, लेकिन आवंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवंटन की प्रक्रिया वास्तविक ट्रेसिंग के बिना शुरू की गयी थी।
  - (6) प्राधिकरण द्वारा की गयी भौतिक ट्रेसिंग में 7738 वर्ग मीटर भूमि कम हो गयी। तदनुसार प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 17.07.2018 को संशोधित आवंटन पत्र जारी किया गया।
  - (7) नवीन आवंटन पत्र दिनांक 17.07.2018 के अनुसार प्रीमियम एवं ब्याज की किस्तों की शर्तों में संशोधन किया गया और तदनुसार किस्तों एवं उस पर ब्याज को नये आवंटन की तिथि 17.07.2018 से वसूल किया जाना था। मूल आवंटन पत्र दिनांक 26.03.2018 को आवंटन पत्र दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और मूल आवंटन पत्र अमान्य हो गया।
  - (8) उक्त के कम में पट्टा विलेख दिनांक 11.10.2018 को निष्पादित किया गया। आवंटन पत्र जारी होने एवं लीज डीड निष्पादित होने से पहले जब पुनरीक्षणकर्ता बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिए गए तो भूखण्ड पर कतिपय समस्याएं यथा जल निकासी की व्यवस्था का निर्माण न होना, प्लाट के सामने सर्विस रोड का निर्माण न होना तथा गाँव की सड़क का चौड़ीकरण न होना पायी गयी।
  - (9) पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 25.02.2019 को भूखण्ड का कब्जा प्राप्त हुआ। कब्जे के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का ठेका मैसर्स मित्तल कान्स्ट्रक्शन यूनिट, मुजफ्फरनगर को दिया गया, जिनके अनुसार साईट पर काम करना जोखिम भरा था, क्योंकि भूखण्ड पर बिजली के खम्भे मौजूद थे। भूखण्ड पर मौजूद खम्भों को हटाने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से भुगतान की मांग की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्युत विभाग से स्वयं समन्वय स्थापित कर उक्त खम्भे हटवाये गये।
  - (10) उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में निम्नवत् अनुतोष मांगा गया है:-

- (a) issue a direction quashing the impugned demand order dated 06.08.2020 and 17.08.2020 passed by UPSIDA, Lucknow demanding a sum of Rs. 1,10,86,498.78 under the head of interest;
  - (b) issue a direction commanding the opposite parties to give a time Extension of 2 years to the applicants;
  - (c) issue a direction commanding the respondents to refund the applicants a sum of Rs. 1,50,88,541/- ;
  - (d) issue any other appropriate direction which may be deemed just and necessary in the circumstances of the case may also be passed; and
  - (e) to allow the appeal with costs.
3. प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में यूपीसीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में तथा सुनवाई के समय निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:-
- भूखण्ड संख्या- बी-4 एवं बी-5 औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला-1 हरदोई, क्षेत्रफल 1,53,145,24 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 26.03.2018 को आवंटन मेसर्स बर्जर पेन्टस को किया गया।
  - आवंटी कम्पनी द्वारा नियमानुसार आरक्षण धनराशि के मद में भुगतान अनुमन्य समय सीमा 30 दिन के भीतर दिनांक 10.04.2018 को किया गया।
  - आवंटन पत्र के प्रस्तर-13 के अनुसार आवंटी कम्पनी को 60 दिन के भीतर नियमानुसार पट्टा विलेख कराकर कब्जा प्राप्त किया जाना था, परन्तु आवंटी कम्पनी द्वारा कृत कार्यवाही किये बिना ही स्वयं जाकर भूखण्ड की पैमाईश की गई।
  - चूँकि आवंटित भूमि के पीछे की तरफ सीमाओं पर वन विभाग की भूमि थी। प्राधिकरण की भूमि एवं वन विभाग की भूमि के बीच रेखाकन नहीं था, जिस कारण आवंटी द्वारा की गई पैमाईश पर वन विभाग द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई।
  - आवंटी कम्पनी के अनुरोध पर मै0 बर्जर पेन्टर के अधिकृत प्रतिनिधि, यूपीएसआईडीसी के अवर अभियन्ता व क्षेत्रीय वनाधिकारी, सण्डीला हरदोई के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। तत्कम में अपर मुख्य प्रधान वन संरक्षक ने अपने पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा सूचित किया की आवंटी कम्पनी की भूमि वन विभाग के अन्दर नहीं आती है।
  - तत्पश्चात अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7 द्वारा पूर्ण भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे कर राजस्व विभाग, वन विभाग एवं काश्तकारों की भूमि का सीमांकन कर उपलब्ध कराई गई, जिसके अनुसार आवंटित भूमि में 7738.27 वर्गमीटर की भूमि कम हो गई।
  - आवंटी कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 23.08.2018 से शेष बकाया धनराशि के भुगतान की सूचना मांगी, जिस पर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2018 के अनुसार वास्तविक भूमि 1,45,406.97 वर्गमीटर की गणना कर प्रीमियम के मद में रू० 18,29,37,253,80, एवं दिनांक 26.03.2018 से



दिनांक 30.08.2018 तक का शेष प्रीमियम पर 12 प्रतिशत ब्याज दर से रू० 95.62,357.00 कुल रू० 19,25,00,110.80 की मांग की गई।

- आवंटी कम्पनी द्वारा मात्र प्रीमियम के मद में माँग की गई धनराशि का भुगतान दिनांक 31.08.2018 को करते हुए उक्त भूखण्ड की भूमि क्लीयर न होने के कारण भूखण्ड पर देख ब्याज माफ किये का अनुरोध किया गया।
- चूँकि आवंटी कम्पनी द्वारा नियमानुसार पट्टा विलेख निष्पादित एवं कब्जा प्राप्त करने से पूर्व ही स्वयं भूखण्ड की पैमाईश करने के कारण उठाये गये संशय को आधारहीन माना गया। अतः विलम्ब का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने के कारण ब्याज माफी को स्वीकार योग्य नहीं पाया।
- को भूखण्ड का पट्टाविलेख दिनांक 13.08.2018 को निष्पादित कर दिनांक 11.10.2018 पंजीकृत कराया गया।
- आवंटी कम्पनी ने अपने ई-मेल दिनांक 12.12.2018 द्वारा सूचित किया गया कि उनके भूखण्ड की 2883.16 वर्गमीटर तिकोनिया भूमि को वन विभाग द्वारा आच्छादित होने के कारण राजस्व विभाग से क्लीयर कराने का अनुरोध किया गया। सूच्य है कि उक्त भूमि पर वन द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि भूमि विवाद रहित थी एवं अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-7 द्वारा भी उक्त तिकुनिया भूमि को पूर्व में ही अपनी ट्रेसिंग में दर्शाया गया था। उक्त आधारहीन संशय को दूर करने के उपरान्त दिनांक 23.02.2019 को क्षेत्रफल 1,45,436.40 वर्गमीटर का कब्जा हस्तगत किया गया।
- आवंटी कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.10.2018 द्वारा भूखण्ड से विद्युत लाईन हटवाने का अनुरोध करते हुए उक्त के मद में होने वाले न्यूनतम व्यय के भुगतान पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।
- चूँकि उक्त विद्युत लाईन विद्युत विभाग की सम्पत्ति थी, अतः सम्बन्धित विद्युत खण्ड से हुए विभिन्न पत्राचार के क्रम में विद्युत लाईन शिफ्ट करने में आने वाले व्यय रू० 2,29,58,356.00 के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 08.07.2019 द्वारा आवंटी से माँग की गई, परन्तु आवंटी द्वारा सम्बन्धित विद्युत खण्ड से स्वयं समन्वय स्थापित कर उक्त विद्युत पोल हटा दिये गये।
- दिनांक 24.10.2019 को मा० मंत्री औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक में मै० बर्जर पेन्टस के प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये—“यूपीसीडा द्वारा स्वीकार किया गया कि निवेशक को भूखण्ड का कब्जा देने में विलम्ब हुआ प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चूँकि भूखण्ड कम दरों पर आवंटित किया गया है। अतः ब्याज माफी न देते हुए इकाई स्थापनार्थ अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। विद्युत लाईन शिफ्टिंग के सम्बन्ध में आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।”
- तत्कालीन औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 29.07.2020 को यह संज्ञानित किया गया कि आवंटी द्वारा ब्याज के मद में मांगी गई छूट

स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त मा० मंत्री औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुमन्य समय-सीमा के उपरान्त समय विस्तारण पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त पर औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा आवंटी को पत्र दिनांक 17.08.2020 के द्वारा अवगत करा दिया गया।

4. दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अध्ययन करने से पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्ता मैसर्स बर्जर पेंट्स की मुख्य शिकायत यह है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन पत्र उन्हें यूपीसीडा के पत्र दिनांकित 26.03.2018 द्वारा दिया गया था, परन्तु इसे वास्तविक तिथि 17.07.2018 माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें सम्बोधित आवंटन पत्र दिनांक 17.07.2018 को ही प्राप्त हुआ। इस बात की पुष्टि हेतु साक्ष्य के तौर पर प्रार्थना पत्र के प्रस्तर-5 तथा प्राधिकरण का पत्र दिनांकित 05.06.2018 तथा 10.07.2018 के प्रस्तर ए-7 पर दिनांक 17.07.2018 को संशोधित पत्र यूपीसीडा द्वारा दाखिल किये गये।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पत्र दिनांकित 23 अगस्त, 2018 द्वारा यूपीसीडा को यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके द्वारा भुगतान किस्तों की बजाय वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीसीडा द्वारा अपने पत्र दिनांकित 27.08.2018 को उनसे प्रीमियम के तौर पर रुपये 18,29,37,253.80 करोड़ और उसका 12 प्रतिशत ब्याज की दर से (दिनांक 26.03.2018 से ब्याज की गणना) रुपये 95,62,857.00 की धनराशि जमा कराने को कहा गया। पुनरीक्षणकर्ता का तर्क है कि चूंकि विलम्ब प्राधिकरण की गलती के कारण हुआ है, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता को ये ब्याज नहीं लगना चाहिए। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कई प्रार्थना पत्र दिए गए, परन्तु उनके इस प्रार्थना पत्र को नहीं माना गया। यूपीसीडा के पत्र दिनांक 13.08.2020 द्वारा न केवल उनकी डिमाण्ड को निरस्त किया गया, बल्कि अपने पत्र दिनांक 17.08.2020 द्वारा जो 2 प्रतिशत ब्याज की छूट थी उसको निरस्त करते हुए 14 प्रतिशत ब्याज की दर से रुपये 1,10,86,498.78 की धनराशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया।

यूपीसीडा के अधिकारियों को सुना गया उनकी यह बात सही है कि प्रीमियम की दर किसी एक निर्धारित तिथि (आवण्टन तिथि) को तय की जाती है और उस दिनांक के बाद जितना भी समय आवण्टी को किस्तों के भुगतान हेतु दिया जाता है उसमें पुनरीक्षणकर्ता को प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ब्याज भी देना होगा।

प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही अपने पत्र दिनांक 27.08.2018 द्वारा अवगत करा दिया गया था कि दिनांक 26.03.2018 से 31.08.2018 तक कितनी ब्याज की धनराशि जमा करनी है उस समय इन्हें 2 प्रतिशत की छूट दी गई थी, परन्तु इनके द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। प्राधिकरण के नियमों के तहत ये छूट समाप्त करते हुए 14 प्रतिशत की दर से ब्याज दर देय हो गया है।

यूपीसीडा के इस बात में बल है कि आवंटन की तारीख को ही प्रीमियम की गणना हो जाती है। इसलिए आवंटी का यह उत्तरदायित्व है कि प्राधिकरण की गणना के अनुसार पूरा प्रीमियम और जो ब्याज बनता है उसको जमा करे।





चूंकि प्लॉट As it is Where it is के सिद्धान्त पर आवंटित किये जाते हैं। इसलिए मौके पर यदि रकबे में थोड़ा बहुत अन्तर आता है तो उसके कारण प्रीमियम के ब्याज में किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं है। बढ़े या घटे हुए रकबे के अनुसार ही उस प्रीमियम की राशि को तदनुसार समायोजित किया जाता है। हां देरी के कारण इकाई को अधिभोग प्रमाणपत्र/पूर्णतः प्रमाणपत्र हेतु निर्धारित समय-सीमा को विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।

कब्जा देने में यदि किसी कारण से प्राधिकरण द्वारा विलम्ब होता है तो उसके लिए अधिभोग प्रमाणपत्र/पूर्णतः प्रमाणपत्र हेतु निर्धारित समयसीमा में वृद्धि करने का प्रावधान है, परन्तु इस देरी का कोई प्रभाव प्रीमियम या ब्याज पर नहीं पड़ता। इस देरी के आधार पर प्रीमियम या ब्याज पर छूट देना किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए पुनरीक्षण याचिका बलहीन होने कारण खारिज की जाती है और आवंटी को निर्देशित किया जाता है कि गणना के अनुसार जो ब्याज बनता है, उसका भुगतान किया जाए।

एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

नरेन्द्र भूषण  
प्रमुख सचिव

**संख्या-3719 (1)/77-4-23 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
2. श्री मुख्तार नकवी, बर्जर पेन्ट्स इण्डिया लि0, भवन संख्या-22, से0-बी, अलीगंज, लखनऊ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(रजनी कान्त पाण्डेय)  
उप सचिव